ई–मेल/अत्यन्त महत्वपूर्ण/समयान्तर्गत

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,
शिक्षा सामान्य(2)विस्तार अनुभाग,
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज ।

सेवा में,

1–मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
2–मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक(मा0), उत्तर प्रदेश।
3– जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–सामान्य(2)विस्तार/ 2062–2172 /2024–25 दिनांक 20–06–2024

विषयः–प्रदेश के माध्यमिक स्तर के समस्त प्रकार के विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन/मानदेय/पेंशन/ग्रेच्युटी/जी0पी0एफ0/सेवानिवृत्तिक देयकों सहित अन्य समस्त प्रकार के देयकों का ससमय भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–422/पन्द्रह–3–2024 दिनांक 19 जून, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के माध्यमिक स्तर के समस्त प्रकार के विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन/मानदेय/पेंशन/ग्रेच्युटी/जी0पी0एफ0/सेवानिवृत्तिक देयकों सहित अन्य समस्त प्रकार के देयकों का ससमय भुगतान किए जाने की कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में है।

उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 19 जून, 2024 में यह प्राविधानित है कि जनपद/मण्डल स्तर पर किसी प्रकरण में बजट की अनुपलब्धता अथवा अन्य कोई समस्या हो तो तत्काल शासन को सूचित कर समस्या का प्राथमिकता पर निराकरण कराया जाय। उक्त के सम्बन्ध में शिथिलता पाये जाने की स्थिति में संबंधित आहरण वितरण अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक/निदेशालय के संबंधित अधिकारी/वित्त नियंत्रक व अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अतः शासनादेश संख्या–422/पन्द्रह–3–2024 दिनांक 19 जून, 2024 की प्रति प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश में प्राविधानित व्यवस्थानुसार ससमय कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उक्तवत्।

भवदीय,

20.6.24

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या सामान्य(2)विस्तार/ /2024–25 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– विशेष सचिव (माध्यमिक शिक्षा), उत्तर प्रदेश शासन, संस्कृत शिक्षा अनुभाग–9, लखनऊ।
2– महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान, निशातगंज, लखनऊ।
3– मण्डलीय उप निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएँ, उत्तर प्रदेश।

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)
उत्तर प्रदेश।

Scanned with CamScanner

GO-136
R-5-5
20/06/24

महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या- 422/पन्द्रह-3-2024

प्रेषक,

आलोक कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

मा0-2 पटल
श्री विनोद मिश्र
20/6/24

सेवा में,

1- शिक्षा निदेशक (मा0),
उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।

2- वित्त नियंत्रक(मा0),
शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 19 जून, 2024

विषयः- प्रदेश के माध्यमिक स्तर के समस्त प्रकार के विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन/मानदेय/पेंशन/ग्रेच्युटी/जी0पी0एफ0/सेवानिवृत्तिक देयकों सहित अन्य समस्त प्रकार के देयकों का ससमय भुगतान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

शासन स्तर से समय-समय पर प्रदेश के माध्यमिक स्तर के समस्त प्रकार के विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन/मानदेय/पेंशन/ग्रेच्युटी/जी0पी0एफ0/ सेवानिवृत्तिक देयकों सहित अन्य समस्त प्रकार के देयकों का ससमय भुगतान किये जाने के संबंध में पूर्व में निर्देश प्रदान किये गये हैं। शासन स्तर पर इस प्रकरण की समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि कतिपय प्रकरणों में भुगतान की कार्यवाही ससमय नहीं की जा रही है, जिसके कारण इस प्रकार के कई प्रकरण लंबित होने की शिकायते प्राप्त हो रही है।

2- अतः इस संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के माध्यमिक स्तर के समस्त प्रकार के विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन/मानदेय/पेंशन/ग्रेच्युटी/जी0पी0एफ0/ सेवानिवृत्तिक देयकों सहित अन्य समस्त प्रकार के देयकों का ससमय नियमानुसार भुगतान किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3- यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि जनपद/मण्डल स्तर पर किसी प्रकरण में बजट की अनुपलब्धता अथवा अन्य कोई समस्या हो तो तत्काल शासन को सूचित कर समस्या का प्राथमिकता पर निराकरण कराया जाय। उक्त के संबंध में शिथिलता पाये जाने की स्थिति में संबंधित आहरण वितरण अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक/ निदेशालय के संबंधित अधिकारी/वित्त नियंत्रक व अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,
19/6/24
(आलोक कुमार)
विशेष सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 422(1)/पन्द्रह-3-2024, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज।

2- उप शिक्षा निदेशक, संस्कृत प्रयागराज/ समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक/जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 (द्वारा शिक्षा निदेशक, मा0) को उक्त निर्देशों के अनुपालन हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(संजय कुमार)
उप सचिव।

Scanned with CamScanner